GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
LEGISLATIVE DEPARTMENT

RAJYA SABHA

STARRED QUESTION NO.183*

ANSWERED ON 08.08.2024

IMPLEMENTATION OF 'ONE NATION ONE ELECTION' PROPOSAL

183. Shri Haris Beeran:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) the details of key findings and recommendations from the report of the High Level Committee, headed by former President of India, constituted to examine the issue of simultaneous elections;
(b) the current status of implementation of the 'One Nation One Election' proposal;
(c) the key challenges identified by Government in implementing the proposal; and
(d) whether any consultations are being undertaken with various stakeholders, including political parties, on the implications and feasibility of the 'One Nation One Election', if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(SHRI ARJUN RAM MEGHWAL)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN RESPECT OF PART (a) to (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 183* DATED 08th AUGUST, 2024

(a) : The High Level Committee (HLC) headed by former President Shri Ram Nath Kovind submitted its Report to the Hon'ble President on 14th March, 2024, on the subject of Simultaneous Elections in India. The HLC as a part of its deliberations invited suggestions, viewpoints and comments from various stakeholders including political parties. Experts on law, including former Chief Justices of India and former Chief Justices of High Courts, former Chief Election Commissioners of India, and State Election Commissioners were invited for interaction in person with the Committee. Expert bodies like the Law Commission of India was also invited by the Committee. A public notice was also issued in the newspapers to invite suggestions and comments from citizens and organisations. Other stakeholders such as the Bar Council of India and apex business organisations like the Confederation of Indian Industry (CII), Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) were also given opportunities to place their points of view. Eminent economists of the country also interacted with the Committee. The Committee held 65 meetings and after extensive deliberation submitted its recommendations to the Government. The Government has published the complete report of the High Level Committee including its various recommendations and key challenges in implementing "One nation, One election" on the official website of HLC on One Nation, One Election (ONOE).

(b) to (d): As per the recommendations of the HLC on ONOE, the implementation of the same would require amendments in the Constitution of India. The decision regarding implementation of the Committee's recommendations is contingent upon examination of various aspects including legal and constitutional aspects.

***

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *183
जिसका उत्तर गुरुवार, 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

'एक राष्ट्र एक चुनाव' प्रस्ताव का कार्यान्वयन

***183 श्री हरीस बीरन :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने के प्रस्ताव के संबंध में जांच करने के लिए गठित भारत के पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) 'एक राष्ट्र एक चुनाव' प्रस्ताव के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन में सरकार द्वारा पहचान की गई प्रमुख चुनौतियाँ क्या-क्या हैं ; और

(घ) क्या 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के निहितार्थ और व्यवहार्यता के संबंध में राजनीतिक दलों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया जा रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 183*, जिसका उत्तर तारीख 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के संबंध में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : भारत में एक साथ निर्वाचन कराने के विषय पर भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति को 14 मार्च, 2024 को प्रस्तुत की । उच्च स्तरीय समिति ने अपने विचार-विमर्श के भाग के रूप में विभिन्न हित धारकों, जिनके अंतर्गत राजनैतिक दल भी हैं, से सुझाव, दृष्टिकोण और टिप्पणियां आमंत्रित की । समिति के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने हेतु विधि विशेषज्ञ, जिनके अंतर्गत भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति तथा उच्च न्यायालयों के भूतपूर्व न्यायमूर्ति, भूतपूर्व मुख्य भारत निर्वाचन आयुक्त तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त आमंत्रित किए गए । विशेषज्ञ निकाय, जैसे कि भारत का विधि आयोग भी समिति द्वारा आमंत्रित किया गया । नागरिकों और संगठनों से सुझाव तथा टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए समाचार-पत्रों में लोक सूचना भी जारी की गई । अन्य हितधारक, जैसे भारतीय विधिज्ञ परिषद् तथा सर्वोच्च कारबार संगठन जैसे कंफेडेरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एएसएसओसीएचएएम) को भी अपने दृष्टिकोण रखने के लिए अवसर प्रदान किए गए । देश के विख्यात अर्थशास्त्रियों ने भी समिति के साथ विचार विमर्श किया । समिति ने 65 बैठकें की तथा गहन विचार-विमर्श के पश्चात् अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की । सरकार ने एक राष्ट्र एक निर्वाचन (ओएनओई) पर एचएलसी की आधिकारिक वेबसाइट पर "एक राष्ट्र एक निर्वाचन" के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न सिफारिशों और मुख्य चुनौतियों सहित उच्च स्तरीय समिति की संपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की है ।

(ख) से (घ) : एक राष्ट्र एक निर्वाचन पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, इसके कार्यान्वयन हेतु भारत के संविधान में संशोधन अपेक्षित होंगे । समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में निश्चय विधिक और संवैधानिक पहलुओं सहित विभिन्न पहलुओं की परीक्षा पर निर्भर है ।

****

SHRI HARIS BEERAN: Sir, the convenience of movement and deployment of forces is one of the reasons why elections are held in several phases, particularly, in the State Assembly elections. My question to the hon. Minister, through you, is: How is the deployment possible when elections are held simultaneously, and, what are the costs involved in the said process.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: उपसभापति जी, 'One Nation, One Election', इसको लेकर एक HLC गठित की गई। उस हाई लेवल कमेटी के 191 दिनों में 65 मीटिंग्स हुईं, जिनमें कई reasons सामने आए, जिनके आधार पर हमें One Nation, One Election की ओर बढ़ना चाहिए और simultaneous elections कराने चाहिए। उनमें से एक reason यह सामने आया कि Model Code of Conduct बार-बार लगने से डेवलपमेंट का काम रुकता है। एक विषय यह आया कि खर्चा भी अधिक होता है और सुरक्षाकर्मी भी ज्यादा और बार-बार लगाने पड़ते हैं। माननीय सदस्य ने जो अभी supplementary पूछा कि कितनी फोर्सेज़ लगेंगी और कितने चरणों में चुनाव होगा, तो यह विषय भी हमारी कमेटी के सामने आया। यह भी एक reason था, जिसके कारण इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि देश को 'One Nation, One Election' की दिशा में बढ़ना चाहिए। यह रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंप दी गई है और इसके क्रियान्वयन से संबंधित जो कानूनी पहलू हैं, जिनमें कई संविधान संशोधन और होने हैं, उन पर विचार किया जा रहा है, धन्यवाद।

SHRI HARIS BEERAN: Sir, the hon. Minister, in his reply, has said that there are a number of constitution amendments which might be required if 'One Nation, One Election' is to be implemented. My question to the hon. Minister is whether the Government is planning to delete Article 356 from the Constitution of India for the said purpose.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: डिप्टी चेयरमैन सर, Article 356 का इस क्वेश्चन से संबंध नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो supplementary पूछा, उसका जो पहला पार्ट है, उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी High Level Committee Report में Article 83, जो duration of Lok Sabha की बात करता है, Article 172, जो duration of State Legislature की बात करता है, Article 82 (a), Article 324 (a), Article 325, Article 327, Section 5 of the Government of NCT Delhi Act, 1991, ये duration of Legislative Assembly, NCTD की बात करते हैं। Section 5 of the Government Union Territory Act 1963, Section 17 of J&K Reorgansation Act, 2019 जैसे कुल 80 constitutional और relevant कानूनों के संशोधन के लिए recommendations की गई है। इस कमिटी ने Article 356 पर विचार नहीं किया है।

श्री उपसभापति: माननीय श्री राजीव शुक्ला, third supplementary.

श्री राजीव शुक्लाः उपसभापति जी, मंत्री जी का जो जवाब है, वह संक्षिप्त जवाब है, जिसमें कहा गया है कि रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। जो recommendations हैं, उनके हिसाब से अगर कोई विधान सभा भंग हो जाती है, तो फिर चुनाव उतनी अवधि के लिए कराया जाएगा। Suppose, कोई विधान सभा चार साल चलने के बाद भंग हो गई, तो क्या एक साल के लिए चुनाव कराएंगे? मेरा मानना है कि इसमें आप इस तरह का संशोधन कीजिए कि कोई House पाँच साल के पहले dissolve ही न हो, तब तो 'One Nation, One Election' संभव है, वरना यह संभव नहीं है। सर, मैं मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे इस दिशा में विचार करेंगे? दूसरा...

श्री उपसभापतिः माननीय राजीव जी, एक ही सवाल पूछें।

श्री राजीव शुक्लाः यह इसी में है। अगर आप संविधान संशोधन करेंगे, तो इसमें कौन से संविधान संशोधन लाएंगे?

श्री उपसभापतिः एक ही में दो सवाल नहीं, एक ही सवाल।

श्री राजीव शुक्लाः ठीक है, सर।

श्री अर्जुन राम मेघवालः डिप्टी चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका समाधान HLC की Report में ही है। हमने HLC की जो Report माननीया राष्ट्रपति जी को सौंपी है, उस रिपोर्ट में recommendation देते हुए बताया गया है कि पहले चरण में लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। उसके पश्चात्, दूसरे चरण में municipalities और पंचायतों के चुनाव 100 दिनों के अंदर होंगे। इसको synchronise किया जाएगा। ये जो बात पूछ रहे हैं, वह उस रिपोर्ट में ही है। उसके आगे-पीछे अवधि होगी, लेकिन वह संविधान संशोधन के बाद होगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय श्री संजय कुमार झा।

श्री संजय कुमार झाः माननीय उपसभापति महोदय, हम लोग भी इस कमेटी में गए थे और वहां अपनी पार्टी की तरफ से इसके पक्ष में ही बातें रखी थीं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में कब आएगी? जो अगला लोक सभा इलेक्शन होने वाला है, क्या उस समय तक इसको इंप्लीमेंट करने का कोई प्लान है या नहीं?

श्री अर्जुन राम मेघवालः उपसभापति महोदय, जब कमेटी के द्वारा माननीया राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट सौंप दी गई, तो वह पब्लिक डोमेन में ही है। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि HLC की Report के अनुसार, total 62 political parties ने अपना evidence इनके सामने दिया, वे उपस्थित हुए और जैसा कि माननीय सदस्य भी कह रहे हैं कि

उनकी पार्टी भी उपस्थित हुई। जिन 47 दलों ने अपना फीडबैक दिया, उसमें 32 political parties के लोग, 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के पक्ष में थे और 15 राजनीतिक दल ही 'वन नेशन, वन इलेक्शन' से असहमत रहे। सर, वह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में ही है और जैसा मैंने पहले कहा कि क्रियान्वयन से संबंधित जो कानूनी पहलू है, उस पर विचार किया जा रहा है।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, 'One Nation, One Election' is an election reform which is the call of the hour. We remember former Law Minister Dinesh Goswami. The Dinesh Goswami Committee had given a report on election reforms long ago. I want to know from the hon. Minister whether the Government is seriously thinking to implement the recommendation given by the Dinesh Goswami Committee Report.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सर, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि हमारे पास जितनी भी रिपोर्ट्स आई थीं, जैसे इलेक्शन कमीशन की First Annual Report, 1983, Law Commission of India की 170th Report और Law Commission of India की 2018 की रिपोर्ट और पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स हमने इस रिपोर्ट में अंकित भी की हैं, उनका उल्लेख भी किया है। इसलिए ही 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के पक्ष में रिपोर्ट दी गई है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 184.